न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
75/2015/प्रा.पत्र/2015	17.08.2015	14.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–दूध विक्रेता श्री गोपाल लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी कुम्हार जाति कुम्हार निवासी देवडावास तह. देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी अनु.।

दिनांक 14.07.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.04.2015 को समय सायं 09:00 ए.एम. पर दौराने गस्त बडां कुंआ टोंक पर पहुंचा वहां पर देवली की तरफ से एक मोटर साईकिल आर जे 26 एसएम 5488 पर ड्रम लटकाकर एक दूध विक्रेता वास्ते दूध विक्रय आ रहा था को रूकवाकर अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर दूध विक्रेता ने अपना नाम श्री गोपाल लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी कुम्हार निवसी देवडावास बताया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया तथा मिश्रीत दूध का एकमात्र मालिक होना बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अपनी मोटरसाईकिल पर 40–40 लीटर क्षमता के 2 ड्रम एल्युमिनियम के और 40 लीटर के एक ड्रम लोहे में लगभग 80 लीटर **मिश्रित दूध** रखा था जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर दूध विक्रेता श्री गोपाल लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी कुम्हार को फार्म नं. 5ए में मिश्रित दूध वास्ते जांच बाजार भाव के समान क्रय करने हेतु गवाहों के समक्ष सूचना देकर 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा जिसकी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **मिश्रित दूध** को हिला–मिलाकर चार साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में बराबर–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग मकें 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–964 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–964 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1754 दिनांक 26.05.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषकअजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/224/एक्ट/2015/224 दिनांक 29.04.2015 अनुसार दूध विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिश्रीत दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मिश्रीत दूध** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस दिनांक 18.01.2019 को बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी एक बार भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ एवं लगातार अनुपस्थित रहा। और ना ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री गोपाल लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी कुम्हार पर शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0